श्री पी. के. चौधरी, विशेष सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 04.03.2011 को अपराह्न 3.00 बजे कमरा सं. 141, उद्योग भवन, नई दिल्ली में एएसआईडीई स्कीम के बारे में राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

प्रतिभागियों की एक सूची अनुबंध में दी गयी है ।

2. श्री पी. के. चौधरी, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग ने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए इस बैठक की शुरूआत की । अपने स्वागत भाषण में उन्होंने उन राज्यों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की जो परियोजना समापन, निधियों के उपयोग, एसएलईपीसी बैठकों के आयोजन और वाणिज्य विभाग द्वारा किए गए पत्राचार का त्वरित उत्तर देने संबंधी प्रमुख मानदंडों के संबंध में अच्छा निष्पादन कर रहे हैं । उन्होंने उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों का ध्यान आकर्षित किया जो इन क्षेत्रों में पिछड़ रहे हैं और उनसे अपने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लाभार्थ एएसआईडीई/ प्रोत्साहन स्कीमों के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त निधियों का लाभ उठाने के लिए अपना निष्पादन बेहतर करने का अनुरोध किया । उन्होंने अधूरी पड़ी परियोजनाओं की लम्बी सूची और एसएलईपीसी बैठकों का नियमित आयोजन न किए जाने पर गंभीर चिंता प्रकट की । उन्होंने स्कीम के दिशा-निर्देशों में परिकल्पित कार्य अनुसूची के अनुसार राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा एसएलईपीसी बैठकों का आयोजन किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया । उन्होंने राज्यों के प्रतिनिधियों से अपने-अपने राज्यों के हित में निर्यात को बढ़ावा देने और अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए इन परियोजनाओं के महत्व को समुचित रूप से रेखांकित करते हुए इन बैठकों के आयोजन हेतु मुख्य सचिव से समय लेने का अनुरोध किया था । जहाँ मुख्य सचिव अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त हों वहाँ अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, उद्योग ऐसी बैठकों की अध्यक्षता कर सकते हैं और लिए गए निर्णयों पर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं (उन्होंने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को यह चेतावनी भी दी कि यदि एसएलईपीसी बैठकों के आयोजन के संबंध में उनके निष्पादन में सुधार नहीं हुआ तो इसके परिणामस्वरूप उनके आवंटन में सांकेतिक कटौती की जा सकती है जो एएसआईडीई स्कीम के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट निष्पादन कर रहे राज्यों को उपलब्ध कराई जा सकती हैं) ।

3. तत्पश्चात श्री पी. के. चौधरी, विशेष सचिव ने श्री सिद्धार्थ, संयुक्त सचिव से अलग-अलग राज्यों के निष्पादन की समीक्षा हेतु संबंधित मामलों का उल्लेख करने को कहा । राज्य-वार समीक्षा में उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने, वाणिज्य विभाग के विनिर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा परियोजनाओं की जाँच, सामान्य पूर्णता अवधि पूरी कर चुकी परियोजनाओं में निर्धारित लागत से अधिक व्यय, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को एएसआईडीई स्कीम के अंतर्गत जारी की गई निधि पर उनके द्वारा अर्जित संचयी ब्याज, एसएलईपीसी बैठकों की आवृत्ति और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जारी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्यों की निधि संबंधी आवश्यकता पर विचार किया गया था । कार्यवाही को और अधिक कारगर तथा परिणामोन्मुख बनाने के लिए प्रतिभागियों के बीच वेब समर्थित निगरानी प्रणाली (डब्ल्यूईबीएस) से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया तथ्यात्मक विवरण वितरित किया गया था । इस तथ्यात्मक विवरण और कुछेक राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों द्वारा दी गयी प्रस्तुतियों के बीच विसंगतियाँ पाई गई थीं । यह सूचित किया गया कि यह तथ्यात्मक विवरण डब्ल्यूईएमएस पर राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा की गई प्रविष्टियों के आधार पर तैयार किया गया है और उसमें प्रदर्शित त्रुटिपूर्ण/अधूरी सूचना का कारण वेबसाइट को अद्यतन न किया जाना है । अतः यह जरूरी है कि वे नियमित अंतराल पर डब्ल्यूईएमएम की जाँच करें और सही सूचना अपलोड करें ताकि वाणिज्य विभाग को सही आंकड़े उपलब्ध हो सकें । वास्तविक रूप से जाँची गई परियोजनाओं की संख्या के संबंध में राज्यों से संबंधित आंकड़े उन अधिकारियों को भेजने का अनुरोध किया गया था जिन्होंने परियोजनाओं का निरीक्षण किया था ताकि जाँच रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा संदर्भ दिया जा सके ।

प्रत्येक मुद्दे पर विस्तृत विचार-विमर्श के बाद राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित निर्णयों पर सहमति व्यक्त की गई : -

(क) <u>परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति :</u>

राज्यों द्वारा अब तक अनुमोदित 1312 परियोजनाओं में से 752 परियोजनाएँ पूरी कर ली गई हैं, 121 परियोजनाओं (वर्ष 2006-07 तक 109; और तत्पश्चात 387 अनुमोदित परियोजनाओं मे से 12) को रद्द कर दिया गया है तथा शेष 439 परियोजनाएँ कार्यान्वयनाधीन हैं । इन 439

परियोजनाओं में से 135 परियोजनाएँ अपनी 3 वर्ष की पूर्णता अवधि को पूरा कर चुकी हैं अर्थात उन्हें वर्ष 2006-07 या उससे पूर्व संस्वीकृति दी गई है ।

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा वर्ष 2007-08 तक संस्वीकृत की गई परियोजनाओं को वर्ष 2010-11 तक पूरा करने और उनका वित्तपोषण करने के कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और तत्पश्चात वर्ष 2008-09 के दौरान संस्वीकृत परियोजनाओं को समाप्त करने के संबंध में कार्यवाही की जानी चाहिए । इस संबंध में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के समक्ष आने वाली किसी भी कठिनाई (यदि कोई हो) की सूचना वाणिज्य विभाग को दी जानी चाहिए ।

(कार्यवाही : सभी राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र)

(ख) <u>परियोजनाओं की वित्तीय प्रगति</u>

अभी तक राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को कुल 3303.97 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है । संचयी व्यय 2673.51 करोड़ रूपए (अर्थात जारी की गई कुल राशि का 80.91%) है । अरूणाचल प्रदेश, बिहार, दादर एवं नागर हवेली, दिल्ली, झारखण्ड, पाँडिचेरी जैसे राज्यों का निष्पादन निर्दिष्ट स्तर से कम रहा है जबकि आँध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नागालैंड, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और प. बंगाल जैसे राज्यों ने आवंटित निधि के 90% से अधिक का व्यय करके उत्कृष्ट वित्तीय प्रगति दर्शाई है । इस संबंध में पिछड़ रहे राज्यों को व्यय की स्थिति में सुधार लाना चाहिए ।

(कार्यवाही : अरूणाचल प्रदेश, बिहार, दादर एवं नागर हवेली, दिल्ली, झारखण्ड और पांडिचेरी । 80% से कम व्यय करने वाले अन्य राज्य/संघ शासित क्षेत्र)

(ग) <u>एसएलईपीसी बैठक :</u>

अण्डमान एवं निकोबार, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, दिल्ली, झारखण्ड, लक्षद्वीप, पाँडिचेरी जैसे राज्यों ने वर्ष 2009-10 के दौरान एसएलईपीसी की किसी बैठक का आयोजन नहीं किया और न ही इस संबंध में वेबसाइट पर कोई सूचना अपलोड की । एसएलईपीसी बैठकों के आयोजन हेतु इस संबंध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए ।

राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को निर्यात संवर्धन परिषदों/वस्तु बोर्डों, एसईजेडों के संबंधित विकास आयुक्तों और संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक के साथ मिलकर कार्यसूची तैयार करने चाहिए और एसएलईपीसी की बैठक के आयोजन की तारीख से न्यूनतम 15 दिन पहले वाणिज्य विभाग सहित सभी सदस्यों को प्रेषित कर देनी चाहिए ।

(कार्यवाही : सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र)

(घ) <u>अर्जित ब्याज :</u>

यह स्पष्ट किया गया था कि वित्त मंत्रालय की अनुमति लिए बिना एएसआईडीई निधियों पर अर्जित ब्याज का उपयोग पूँजी शीर्ष के तहत परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए नहीं किया जाना चाहिए । अतः राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा एएसआईडीई निधियों पर अर्जित ब्याज का लेखा नियमानुसार आगे की कार्यवाही हेतु वाणिज्य विभाग को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था । यह पाया गया है कि अभी तक राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा यह ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया गया है । राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को यह सलाह दी जाती है कि वे अर्जित ब्याज का संचयी लेखा तत्काल प्रस्तुत करें ।

(कार्यवाही : सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र)

(ड.) <u>उपयोगिता प्रमाण-पत्र</u>

विशेष सचिव (पी. के. चौधरी) ने यह सूचित किया कि पूर्व में जारी किए गए अनुदानों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) प्राप्त हुए बिना आगे की राशि जारी नहीं की जाएगी ।

अण्डमान एवं निकोबार (2008-09), बिहार (वर्ष 2002-03 का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में नहीं है), दादर एवं नगर हवेली (2002-03), दिल्ली (2007-08), झारखण्ड (2008-09), पाँडिचेरी (2003-04) द्वारा यथाशीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए और उपयोगिता प्रमाण-पत्र तत्काल प्रस्तुत किए जाने चाहिए ।

(कार्यवाहीः अण्डमान एवं निकोबार, बिहार (उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में नहीं है), दादर एवं नगर हवेली, दिल्ली, झारखण्ड, पाँडिचेरी)

(च) **बिहार के संबंध में बकाया लेखापरीक्षा पैरा**

बिहार सरकार को त्रुटिपूर्ण ढंग से जारी की गई राशि के संबंध में एक बकाया लेखापरीक्षा पैरा अनुपालन हेतु वाणिज्य विभाग में लंबित है । बिहार सरकार से 1.40 करोड़ रूपए की राशि वापस लेने के लिए कई बार पत्राचार किया गया है किंतु अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । बिहार सरकार द्वारा यह धनराशि तत्काल वापस की जानी चाहिए ।

(कार्यवाहीः बिहार)

(छ) **निर्धारित लागत से अधिक व्यय :**

पीएसी द्वारा यह पाया गया है कि अनेक परियोजनाएँ (134) अपनी पूर्णता अवधि से भी अधिक समय ले चुकी हैं जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित लागत/समय से अधिक व्यय हुआ है । परियोजना में निर्धारित लागत से अधिक व्यय का विवरण, यदि पहले ही न भेजा गया हो, उसके कारणों सहित वाणिज्य विभाग को भेजा जाना, चाहिए और यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यदि कोई असाधारण स्थिति परियोजनाओं की प्रगति को बाधित नहीं करती है तो इन परियोजनाओं को 2-3 वर्ष की सामान्य परिपक्वता अवधि में पूरा किया जाए । अनुचित विलंब के कारण निर्धारित लागत से अधिक व्यय का वहन एएसआईडीई स्कीम द्वारा नहीं किया जाना चाहिए ।

(कार्यवाहीः आंध्र प्रदेश, अण्डमान एवं निकोबार, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मेघालय, मणिपुर, मध्य प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, पाँडिचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल)

(ज) **चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की निधि संबंधी आवश्यकता**

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को एक बार फिर यह स्मरण कराया गया कि उनके द्वारा वर्ष 2007-08 तक संस्वीकृत की गई परियोजनाओं को वर्ष 2010-11 तक पूरा करने और उनका वित्तपोषण करने के कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और तत्पश्चात वर्ष 2008-09 के दौरान संस्वीकृत परियोजनाओं को समाप्त करने के संबंध में कार्यवाही की जानी चाहिए । इस संबंध में राज्यों/संघ

शासित क्षेत्रों के समक्ष आने वाली किसी भी कठिनाई की सूचना वाणिज्य विभाग को दी जानी चाहिए ।

इस संबंध में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा सभी जारी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित निधियों का आकलन किया जाना चाहिए । राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अपने-अपने परियोजना समूहों को ध्यान में रखते हुए निधि संबंधी आवश्यकता की सूचना देने को भी कहा गया ।

कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, ओडिशा, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों द्वारा जारी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधि के संबंध में माँग/अनुरोध किए गए हैं । अभी तक केवल कर्नाटक से औपचारिक अनुरोध प्राप्त हुआ है और ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश के प्रतिनिधियों ने एक-दो दिन के भीतर औपचारिक अनुरोध प्रस्तुत करने की सूचना दी है ।

5. चर्चा को समाप्त करते हुए श्री सिद्धार्थ, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग ने विशेष सचिव (पी. के. चौधरी) और सभी प्रतिभागियों को बैठक में भाग लेने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से उपर्युक्त निर्णयों के अनुपालन में की गई कार्यवाही के संबंध में सूचना भेजने का अनुरोध किया । उन्होंने यह अनुरोध भी किया कि वाणिज्य विभाग को प्रेषित पत्र की एक प्रति moc_states@nic.in पर ई-मेल से अवश्य भेजी जाए ।

अनुबंध

प्रतिभागियों की सूची

क्र. सं.	**नाम** **सर्वश्री**	**पदनाम**
1	पी. के. चौधरी	विशेष सचिव- अध्यक्ष
2	सिद्धार्थ	संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग
3	रामलखन	अवर सचिव, वाणिज्य विभाग
4	के. एस. एस. स्वामी	प्रबंध निदेशक-वीआईपीसी, कर्नाटक
5	वाई. डी. पाण्डे	सलाहकार-आईडीसीओ, उड़ीसा
6	ए. के. धम	सम्पर्क अधिकारी-आईडीसीओ, उड़ीसा
7	एस. आई. शर्मा	प्रबंध निदेशक/एमएएनआईडीसीओ (एमआईडीसी), मणिपुर
8	जी. एस. राव	संयुक्त निदेशक-सीओआई-सीईपी, आंध्र प्रदेश
9	ए. के. चतुर्वेदी	संयुक्त निर्यात आयुक्त, उत्तर प्रदेश
10	पी. के. मित्तल	एडिशनल सी.ई., राजस्थान
11	एस. रामनाथ	प्रबंध निदेशक, इन्फ्रा, केरल
12	ध्रुव देव	विशेष कार्य अधिकारी एवं शाखा प्रमुख, छत्तीसगढ़
13	एस. के. पराशर	वरिष्ठ प्रबंधक, दिल्ली
14	एम. ई. अहमद	संयुक्त आयुक्त, बिहार

15	डी. मुखोपाध्याय	एडिशनल सी. एस., वाणिज्य एवं उद्योग, पश्चिम बंगाल
16	सुनील पालिवाल	प्रबंध निदेशक, टीआईडीसीओ, तमिलनाडु
17	सेन्थिल कुमार	महाप्रबंधक, टीआईडीसीओ, तमिलनाडु
18	अरिन्दम सोम	आयुक्त एवं सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग, मेघालय
19	जॉर्ज लिंगदोह	निदेशक, वाणिज्य एवं उद्योग, मेघालय
20	वी. जॉर्ज जेमर्ट	प्रबंध निदेशक, टीआईडीसीएल, त्रिपुरा
21	एस. महालिंगम	ईई, पीआईपीडीआईसी, पुदुचेरी
22	उमेश चन्द्र	सहायक निदेशक, उत्तर प्रदेश
23	अजित नाईक	प्रबंध निदेशक, गोवा
24	विकास जैन	विशेष कार्य अधिकारी, डीआई, महाराष्ट्र
25	आर. पी. सिंह	मुख्य महाप्रबंधक, मध्य प्रदेश
26	वाई. वर्मा	असिस्टेन्ट रेजि. कमिश्नर, नागालैण्ड
27	आर. करीकल वलावेन	आयुक्त एवं उद्योग, आंध्रप्रदेश
28	डॉ. मनीष रंजन	निदेशक (उद्योग), झारखण्ड
29	एस. एस. नेगी	ए. के. (लेखा), एसआईडीसीयूएल, उत्तरांचल

सं. 20/7/2010-एससी
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
राज्य प्रकोष्ठ
****

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2011

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रधान सचिव (वाणिज्य एवं उद्योग) (सूची के अनुसार)

एएसआईडीई स्कीम की सभी नोडल एजेंसियाँ (सूची के अनुसार)

विषयः एएसआईडीई स्कीम के संबंध में दिनांक 04.03.2011 को आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

महोदय,

मुझे श्री पी. के. चौधरी, विशेष सचिव की अध्यक्षता में एएसआईडीई स्कीम के संबंध में दिनांक 4 मार्च, 2011 को कमरा सं. 141, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त अनुपालन एवं आगे की आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही हेतु अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है ।

भवदीय

(राम लखन)
अवर सचिव, भारत सरकार
फैक्सः 011-23063418/23062335
ई-मेलः moc_states@nic.in

प्रतिलपिः

विशेष सचिव (श्री पी. के. चौधरी) के प्रधान निजी सचिव/संयुक्त सचिव (श्री सिद्धार्थ)/ निदेशक (श्री अमृत राज) के के निजी सचिव